-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना बिसण्डा क्षेत्र में वर्ष-2014 में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को दिलाई गई आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2014 में थाना बिसण्डा क्षेत्र में व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना बिसण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अकौना में दिनांक 25.03.2014 की रात्रि को बन्धुवा पुत्र चुनबुद्दा की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में मृतक की बहु द्वारा दी गई तहरीर पर थाना बिसण्डा में मु0अ0सं0 102/14 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री प्रकाश सिंह की गई। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 24.07.2014 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। अभियोजक श्री सुशील तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी राजन के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तों को मा0 सत्र न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित कराया गया।

।

अभियुक्त-

1. **रामबाबू पुत्र मेवालाल निवासी ग्रामअकौना थाना बिसण्डा जनपद बांदा।**
2. **बिंदाप्रसाद पुत्र रामकृपाल निवासी अकौना थाना बिसण्डा जनपद बांदा।**